सत्यमेव जयते
Web Copy Not Official

न्यायालय सहायक कलक्टर, डीडवाना

पीठासीन अधिकारी:— श्री उत्तमसिंह शेखावत, R.A.S.

राजस्व वाद संख्या: 195/2018 दायर दिनाँक 14.06.2018

वादी		प्रतिवादीगण
1. पुष्पकँवर पुत्री मूलसिंह पत्नी मोहनसिंह, उम्र—64साल, 2. गेन्दकँवर पुत्री मूलसिंह पत्नी सवाईसिंह, उम्र—62साल, समस्त,जाति—राजपूत, निवासी—बगतपुरा, तहसील—डीडवाना, जिला—नागौर, राजस्थान, हाल,निवासी—राजपुरा।	बनाम्	1. सरोजकँवर पत्नी स्वर्गीय मांगूसिंह, 2. धनसिंह पुत्र स्वर्गीय नाथूसिंह, 3. भँवरसिंह पुत्र स्वर्गीय गिरवरसिंह, 4. विरेन्द्रसिंह पुत्र स्वर्गीय गिरवरसिंह, 5. मोहनसिंह पत्नी स्वर्गीय गिरवरसिंह, 6. श्रवणसिंह पुत्र स्वर्गीय मंगेजसिंह, 7. छगनकँवर उर्फ सज्जनकँवर पत्नी स्वर्गीय मंगेजसिंह, 8. अन्तरकँवर पुत्री स्वर्गीय मंगेजसिंह, 9. नन्दुकँवर पुत्री स्वर्गीय मंगेजसिंह, 10. रघुवीरसिंह पुत्र बनेसिंह, 11. मोहनसिंह पुत्र बनेसिंह, 12. राजेन्द्रसिंह पुत्र स्वर्गीय ज्ञानसिंह, 13. मंगेजकँवर पत्नी स्वर्गीय ज्ञानसिंह, 14. मंजूकँवर पुत्री स्वर्गीय ज्ञानसिंह पत्नी राजेन्द्रसिंह, समस्त,जाति—राजपूत, निवासी—बगतपुरा, तहसील—डीडवाना, जिला—नागौर, राजस्थान, 15. तहसीलदार डीडवाना, जिला—नागौर, राजस्थान।

दावा बाबत्
घोषणा खातेदारी व स्थाई निषेधाज्ञा,
अन्तर्गत धारा—88, 188, R.T.Act.

उपस्थित:—

1. वादीगण व प्रतिवादीगण संख्या 02, 03, 11 व 12 स्वयं उपस्थित।

सहायक कलेक्टर
डीडवाना (नागौर)

Scanned by CamScanner

—:: निर्णय ::—

दिनाँक 27.06.2018

वाद का सारांश संक्षिप्त में इस प्रकार है कि, वादीगण व प्रतिवादीगण संख्या 01 ता 14 स्वर्गीय दुर्जनसिंह के वारिशान् हैं।

शरहद बगतपुरा में खसरा नम्बर 24 रकबा 07.00 बीघा व खसरा नम्बर 292 रकबा 05.00 बीघा व खसरा नम्बर 323 रकबा 05.15 बीघा तथा खसरा नम्बर 326 रकबा 11.00 बीघा कुल रकबा 28.15 बीघा अवस्थित है, जो कि पक्षकारान् की पैतृक भूमि हैं।

प्रार्थना वादीगण है कि,

शरहद बगतपुरा में खसरा नम्बर 24 रकबा 07.00 बीघा व खसरा नम्बर 292 रकबा 05.00 बीघा व खसरा नम्बर 323 रकबा 05.15 बीघा तथा खसरा नम्बर 326 रकबा 11.00 बीघा कुल रकबा 28.15 बीघा में से हिस्सा 1/4 भाग में प्रतिवादी संख्या 01 सरोजकँवर के साथ वादीगण को खातेदार घोषित किया जावे तथा वादीगण के पक्ष में तथा प्रतिवादीगण के विरूद्ध स्थाई निषेधाज्ञा जारी की जावे।

वादीगण का वाद दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण संख्या 01 ता 15 को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादीगण संख्या 01 व 15 के बावजूद तामिलबी के न्यायालय में अनुपस्थित रहने से उनके खिलफ एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लायी जाने का आदेश पारित किया गया। प्रतिवादीगण संख्या 02 ता 14 की ओर से इकबालिया जवाब पेश हुआ।

वादी ने वाद के समर्थन में शपथ–पत्र, जमबान्दी ग्राम बगतपुरा सम्वत् 2071–74 खेवट संख्या 46/44 की प्रमाणित प्रतिलिपि, पेश की है।

न्याय आपके द्वार, 2018 : राजस्व लोक अदालत, कोर्ट कैम्प–पीड़वा में पत्रावली पेश हुई। वादीगण व प्रतिवादीगण संख्या 02, 03, 11 व 12 स्वयं उपस्थित। पक्षकारान् को सुना गया। पक्षकारान् दावा डिक्री किया जाने का निवेदन कर रहे हैं। मिसल पर उपलब्ध अभिलेख का अवलोकन किया गया। वादीगण अनुतोष व पक्षकारान् निवेदन पर विचार किया गया। तत्सम्बन्धी विधि का अवलोकन किया गया।

सहायक कलेक्टर
डीडवाना (नागौर)

Scanned by CamScanner

राजस्व–वाद, संख्या 195/2018
दायर दिनाँक 14.06.2018, निर्णय दिनाँक 27.06.2018
पुष्पाकँवर, वगैरा बनाम् सरोजकँवर, वगैरा।

वाद का किसी पक्षकार द्वारा खण्डन नहीं किया गया है। प्रतिवादीगण संख्या 02 ता 14 की ओर से इकबालिया जवाब है तथा प्रतिवादीगण संख्या 01 व 15 के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लायी जा चुकी है। प्रकरण के शेष पक्षकारान् दावा डिक्री किया जाने का निवेदन कर रहे हैं। ऐसी स्थिति में, शरहद बगतपुरा में खसरा नम्बर 24 रकबा 07.00 बीघा व खसरा नम्बर 292 रकबा 05.00 बीघा व खसरा नम्बर 323 रकबा 05.15 बीघा तथा खसरा नम्बर 326 रकबा 11.00 बीघा कुल रकबा 28.15 बीघा में से हिस्सा 1/4 भाग का प्रतिवादी संख्या 01 सरोजकँवर के साथ वादीगण को भी खातेदारी दिया जाना अज अदालत को जायज लगता है।

अतः बाद विवेचन, वाद वादीगण, वादीगण के पक्ष में डिक्री सादिर किया जाता है।

<u>आदेश</u>

हस्ब दावा डिक्री सादिर कर, शरहद बगतपुरा में खसरा नम्बर 24 रकबा 07.00 बीघा व खसरा नम्बर 292 रकबा 05.00 बीघा व खसरा नम्बर 323 रकबा 05.15 बीघा तथा खसरा नम्बर 326 रकबा 11.00 बीघा, कुल रकबा 28.15 बीघा भूमि में से, हिस्सा 1/4 भाग का वर्तमान दर्ज खातेदार प्रतिवादी संख्या 01, के साथ वादीगण को भी खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है।

पक्षकारान् को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा के पाबन्द किया जाता है कि, वे एक–दूसरे की खातेदारी की आदेश वर्णित भूमि में किसी प्रकार की दखल अन्दाजी न करें। उपर्युक्तानुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद हो। डिक्री जारी हो।

(उत्तमसिंह शेखावत)
R.A.S.
सहायक कलेक्टर
डीडवाना
कोर्ट कैम्प–पीड़वा

निर्णय आज दिनाँक **27.06.2018** को सरे कोर्ट कैम्प में सुनाया गया।

(उत्तमसिंह शेखावत)
R.A.S.
सहायक कलेक्टर
डीडवाना
कोर्ट कैम्प–पीड़वा

Scanned by CamScanner

डिक्री बमुकद्दमें इब्तदाई
(आर्डर 20, रूल 6, 7 जाब्ता दीवानी)
अज अदालतः- सहायक कलक्टर, डीडवाना
न्याय आपके द्वार,2018 : राजस्व कोर्ट कैम्प
बइजलास : श्री उत्तमसिंह शेखावत, R.A.S.

राजस्व वाद संख्याः **195/2018** दायर दिनाँक **14.06.2018**

वादी		प्रतिवादीगण
1. पुष्पकँवर पुत्री मूलसिंह पत्नी मोहनसिंह, उम्र–64साल, 2. गेन्दकँवर पुत्री मूलसिंह पत्नी सवाईसिंह, उम्र–62साल, समस्त,जाति–राजपूत, निवासी–बगतपुरा, तहसील–डीडवाना, जिला–नागौर, राजस्थान, हाल,निवासी–राजपुरा।	बनाम्	1. सरोजकँवर पत्नी स्वर्गीय गांगूसिंह, 2. धनसिंह पुत्र स्वर्गीय नाथूसिंह, 3. भँवरसिंह पुत्र स्वर्गीय गिरवरसिंह, 4. विरेन्द्रसिंह पुत्र स्वर्गीय गिरवरसिंह, 5. मोहनसिंह पत्नी स्वर्गीय गिरवरसिंह, 6. श्रवणसिंह पुत्र स्वर्गीय मंगेजसिंह, 7. छगनकँवर उर्फ सज्जनकँवर पत्नी स्वर्गीय मंगेजसिंह, 8. अन्तरकँवर पुत्री स्वर्गीय मंगेजसिंह, 9. नन्दुकँवर पुत्री स्वर्गीय मंगेजसिंह, 10. रघुवीरसिंह पुत्र बनेसिंह, 11. मोहनसिंह पुत्र बनेसिंह, 12. राजेन्द्रसिंह पुत्र स्वर्गीय ज्ञानसिंह, 13. मंगेजकँवर पत्नी स्वर्गीय ज्ञानसिंह, 14. मंजूकँवर पुत्री स्वर्गीय ज्ञानसिंह पत्नी राजेन्द्रसिंह, समस्त,जाति–राजपूत, निवासी–बगतपुरा, तहसील–डीडवाना, जिला–नागौर, राजस्थान, 15. तहसीलदार डीडवाना, जिला–नागौर, राजस्थान।

सहायक कलेक्टर
डीडवाना (नागौर)

Scanned by CamScanner

दावा बाबत्
घोषणा खातेदारी व स्थाई निषेधाज्ञा,
अन्तर्गत धारा–88, 188, R.T.Act.

दिनॉंक 27.06.2018

यह मुकद्दमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू हमारे व हाजरी मिनजानिब मुद्दई उपस्थित वादीगण व प्रतिवादीगण संख्या 02, 03, 11 व 12 ओर से मद्दायलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि,

हस्ब दावा डिक्री सादिर कर, शरहद बगतपुरा में खसरा नम्बर 24 रकबा 07.00 बीघा व खसरा नम्बर 292 रकबा 05.00 बीघा व खसरा नम्बर 323 रकबा 05.15 बीघा तथा खसरा नम्बर 326 रकबा 11.00 बीघा, कुल रकबा 28.15 बीघा भूमि में से, हिस्सा 1/4 भाग का वर्तमान दर्ज खातेदार प्रतिवादी संख्या 01, के साथ वादीगण को भी खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है।

पक्षकारान् को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा के पाबन्द किया जाता है कि, वे एक–दूसरे की खातेदारी की आदेश वर्णित भूमि में किसी प्रकार की दखल अन्दाजी न करें। उपर्युक्तानुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद हो।

नीज..........–.......... मुबलिंग............–............... बाबत.......... ....–....................खर्चा इस मुकद्दमें के मय सूद व शरह.........–......... आज की तारीख को अदा करें। बसब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज की तारीख 27.06.2018 को सरे इजलास में जारी की गयी।

सहायक कलक्टर
सहायक कलक्टर
डीडवाना
डीडवाना (नागौर)
कोर्ट कैम्प–पीड़वा

मुद्दई	रूपया	पैसे	मुदायलह	रूपया	पैसे
स्टाम्प अर्जीदावा			स्टाम्प		
स्टाम्प वकालतनामा			वकालतनामा		
स्टाम्प वजह	–		स्टाम्प अर्जी		
सबूत	–		महनताना वकील		
महनताना वकील			खर्चा गवाहान		
खर्चा गवाहान			फिस कमिश्नर		
फिस कमिश्नर			बाबत इजराय		
बाबत इजराय			हुक्मनामा		
हुक्मनामा			मुतफर्रिक		
मुतफर्रिक					
मिजान			मिजान		

नोटः–इस खर्च के फार्म पर कुल खर्चा हर दो फरीकेन का, चाहे डिगरी के जरिये दिलाया गया हो या नही दर्ज करना चाहिये।

सहायक कलक्टर
सहायक कलक्टर
डीडवाना
डीडवाना (नागौर)
कोर्ट कैम्प–पीड़वा

Scanned by CamScanner